

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सूचना ऑनलाइन मंगवाने के प्रयोग हेतु मैनुअल ।

विषय सूची:- 1. प्रणाली का परिचय 2. प्रयोग की विधि

1. प्रणाली का परिचय

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, संघ की राजभाषा से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नोडल विभाग है। इस उद्देश्य से यह विभाग केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के संवर्धन से संबंधित गतिविधियों का आयोजन एवं उनका समन्वय करता है। देश के विभिन्न शहरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्यरत हैं। ये समितियां राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में योगदान देती हैं। इन समितियों की बैठकों व गतिविधियों की सूचना विभाग द्वारा मंगवाई जाती है तथा उनकी मानीट्रिंग की जाती है। नराकासों से संबंधित सूचनाओं की त्वरित प्राप्ति एवं हिन्दी के प्रयोग की प्रभावी प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (TOLICS) की सूचनाओं की ऑनलाइन प्रस्तुति के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है। अब (वर्ष 2015-16 से) विभाग द्वारा सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों संबंधी सूचनाएं ऑनलाइन मंगवाई जाएंगी।

2. प्रयोग की विधि

- (i) राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in या www.rajbhasha.gov.in खोलें।
- (ii) होम पेज पर उपलब्ध नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति टैब को खोलें तथा उसके अंतर्गत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति सूचना प्रबंधन प्रणाली लिंक पर क्लिक करें।
- (iii) अपनी समिति का कोड तथा डिफॉल्ट पासवर्ड राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से प्राप्त करें। कोड तथा डिफॉल्ट पासवर्ड डालें और अद्येष्टित करें। दिए गए गोपनीय प्रश्न का चुनाव करें तथा उत्तर भरें और इसे नोट कर लें, जो भविष्य में पासवर्ड बदलने के समय आवश्यक होगा।
- (iv) इसके बाद पासवर्ड बनाने के लिए अपना नया पासवर्ड भरें जिसमें कम से कम
 - एक capital letter (A,B,C.....)
 - एक small letter (a,b,c.....)
 - एक special character (!,@,\$)
 - एक digit (0-9) आवश्यक होगा, पासवर्ड में 6 से 10 कैरेक्टर हो। उपरोक्त प्रक्रिया अपनाते हुए नया पासवर्ड बनाएं तथा नोट करें।
- (v) पासवर्ड कैसे रिसेट/डिफॉल्ट करे:-- यदि पासवर्ड भूल गये हैं तो, पासवर्ड रिसेट/डिफॉल्ट करवाने के लिए क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय से संपर्क करें और अपने कार्यालय का कोड बताएं।
- (vi) नराकास संबंधी सूचना कैसे अपलोड/अद्यतित करें।

नराकास अध्यक्ष एवं सचिव अपनी बैठकों व अन्य गतिविधियों की सूचना भरें तथा संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। अपलोड के लिए पासवर्ड **Upld@***तारीख** होगा। उदाहरण के लिए आपकी समिति का कोड 430 है तथा आप 20 तारीख को सूचना अपलोड कर रहे हैं तो दस्तावेज अपलोड करने के लिए पासवर्ड **Upld@43020** होगा। जिस तारीख को आप सूचना अपलोड करेंगे उस दिन के अनुसार पासवर्ड के अंतिम दो digit बदलते रहेंगे।

(vii) बैठक से संबंधित सभी जानकारी भरने तथा तीनों दस्तावेजों को अपलोड करने के पश्चात बैठक की स्थिति को अंतिम करना अनिवार्य है । स्थिति अंतिम होने के पश्चात ही बैठक का सत्यापन क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय द्वारा किया जा सकेगा । नराकास को अपने सभी सदस्यों का विवरण भी भरना होगा ।
